प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चार'

[7/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 4602]

विधानसभा तारांकित प्रश्नक्रमांक 4602 श्री पं. रमेश दुबे की जानकारी

परिशिष्ट

क्र.	नाम	पद नाम	अनियमितता का विवरण	कार्यवाही का विवरण
1	श्रीमती ममता सनोडिया	पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जमोनिया	मोक्षधाम निर्माण कार्य एवं जॉब कार्ड के आधार पर अनियमित भुगतान, तकनीकी स्वीकृति के बिना पशुशेड निर्माण एवं प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि का भुगतान।	त्रुटिपूर्ण पाये गये व्यय की रिकवरी कराई गई है।
2	श्री राजेश सनोडिया	तत्का. सचिव ग्राम पंचायत जमोनिया	मोक्षधाम निर्माण कार्य एवं जॉब कार्ड के आधार पर अनियमित भुगतान, तकनीकी स्वीकृति के बिना पशुशेड निर्माण एवं प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि का भुगतान।	त्रुटिपूर्ण पाये गये व्यय की रिकवरी कराई गई है।
3	श्री कमल सिंह डेहरिया	तत्का. पटवारी	अपात्र हितग्राहियों को लघु एवं सीमांत कृषक का प्रमाण जारी करना	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग चौरई को अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा दिये गये।
4	श्री एस.एस. साहू	सहायक यंत्री	तकनीकी स्वीकृति के बिना पशुशेड निर्माण प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि का भुगतान।	कार्य में पाये गये तकनीकी कमी के लिए 05 दिवस का वेतन राजसात किया गया।
5	श्री मिथलेश बघेल	उपयंत्री मनरेगा	प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि का भुगतान	कार्य में पाये गये तकनीकी कमी के लिए 05 दिवस का वेतन राजसात किया गया।
6	श्री नितेश महोरे	सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत चौरई	प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि का भुगतान	पूर्व में ही अन्य प्रकरण में सेवा समाप्त की जा चुकी है।

(जे. एस. बिसेन)
सहायक परियोजना अधिकारी
ज.शि.नि.प्रकोष्ठ

2

समयसीमा / तत्काल

कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास) जिला छिन्दवाड़ा

क्रमांक /8169 /शिका0 / जि0पं0 / ग्रा0वि / 2017,
प्रति,

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13/02/2017

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
चौरई
जिला छिंदवाडा।

विषय :— जनपद पंचायत चौरई में पदस्थ सहायक लेखाधिकारी श्री नितेश माहोरे द्वारा मनरेगा राशि के भुगतान में हेराफेरी कर करोड़ों रूपयों के घोटाला की जॉच में पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त जॉच में यह पाया गया कि पटवारी श्री कमलसिंह डेहरिया द्वारा लघु / सीमांत कृषक होने संबंधी प्रमाण पत्र दिये जाने के कारण निम्नलिखित कृषको को पशु शेड स्वीकृत किये गये हैं :—

1— पेश्या / बीरबल ग्राम जमुनिया
2— विनोद / पेश्या ग्राम जमुनिया
3— नेतराम / सेवकराम ग्राम जमुनिया
4— पुरनाबाई / बुद्धूलाल ग्राम जमुनिया
5— रघुनंदन / सालकराम ग्राम जमुनिया
6— सीताराम / रतनचंन्द्र ग्राम केदारपुरखुर्द
7— टीकाराम / मूला ग्राम जमुनिया

उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार चौरई से शिकायत की जॉच करवाई गई, जॉच में पाया गया कि कृषक लघु / सीमांत कृषक की श्रेणी में नहीं आते अतः पटवारी श्री कमलसिंह डेहरिया द्वारा दिये गये गलत प्रमाण पत्र के आधार पर अपात्र कृषकों को पशु शेड स्वीकृत कर दिये गये।

अतः तत्संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त प्रकरणों की पूर्ण जॉच करें। जॉच में यदि पटवारी द्वारा जानबूझकर गलत प्रमाण पत्र जारी किया जाना परिलक्षित होता है तो पटवारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही करें। तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत करावें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,छिन्दवाड़ा

(... बिसेन)
सहायक परियोजना अधिकारी
ज.शि.नि.प्रकोष्ठ